

लैंगिक हिंसा एवं समाजिक प्रभाव

प्रो० अकालू प्रसाद

अध्यक्ष, भूगोल विभाग, आर.पी.पी.जी. कालेज, कमालगंज—फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

Abstract

वर्तमान परिवेश में हिंसा एक भयावह एवं विभिन्न रूप धारण करती जा रही है। यह हिंसकता का स्वरूप परिवार से लेकर समाज, गाँव, क्षेत्र, राज्य के अलावा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की होती जा रही है। हिंसा की अभिव्यक्ति हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि "जिस किसी बात, घटना, तथ्य या फिर किसी भी मानवीय किया कलाप से दूसरों अथवा अगले को पीड़ा या कष्ट पहुँचता है, वही स्वरूप हिंसा कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के द्वारा अगले की भावना को ठेस अथवा आघात या आत्मीय क्षति पहुँचती, को हिंसा कहते हैं। इसी क्रम में किसी भी प्राणी अथवा जीव पर दुर्स्थासन करना, गुलाम या दास बनाना, किसी भी प्रकार की पीड़ा या कष्ट देना, सताना या अशान्त करना हिंसा के अन्तर्गत आता है।

यह हिंसक स्वरूप जाति—जाति के बीच, समाज—समाज के बीच, समुदाय—समुदाय के बीच इतना ही नहीं पुरुष—पुरुष के बीच, स्त्री—स्त्री के बीच तथा पुरुष—स्त्री के बीच सामान्य से लेकर बड़े स्तर तक होता रहता है। यही लैंगिक हिंसा कहलाती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री—पुरुष के बीच होने वाले संघर्ष या तनाव या आघात अथवा पार—पीट का स्वरूप ही लैंगिक हिंसा कहलाती है।

सामान्यतया यही कहा जाता है कि लिंग आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति के लिंग के कारण निर्देशित हिंसा है या ऐसी हिंसा जो किसी विशेष लिंग के व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती है। लिंगगत हिंसा के लिए प्रायः गरीब, ग्रामीण या स्वदेशी समुदायों की लड़कियाँ, और युवा महिलायें, वे जो LGBTQIA+ हैं या मानी जाती हैं, वे जो विकलांगता के साथ जी रही हैं, साथ ही लड़कियाँ और महिलायें जो राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों और लैंगिक असमानता के बारे में बोलती हैं।

वर्तमान समय में मनचले लड़के व लड़कियों के कारण लैंगिक हिंसा त्वरित गति से बढ़ रही है। इसका ज्वलन्त उदाहरण दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मणिपुर इत्यादि के अलावा उत्तर प्रदेश की घटनाये प्रमुख हैं। स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि अब कोई अपनी लड़कियों/महिलाओं को प्रशासनिक सेवाओं के लिए अग्रसर होने में कतराता है तथा भविष्य में इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। इसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव भारतीय समाज पर क्षणिक एवं दीर्घ कालिक हो रहा है तथा होगा। इसके लिए सभी वर्गों, समूहों तथा समुदायों के सम्बन्ध महानुभावों को एकजुट होकर हिंसा के इस घड़ी में भटकने व भटकाने वाले लोंगों, नौजवानों अथवा अराजक तत्वों को एक सही एवं उत्तम मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर सकें।

मुख्य शब्द: लैंगिकता, हिंसाग्रसित, समसामयिक, अवबोधन, सौहार्दता, कत्त्वेआम, अपशकुन, इजहार, गर्भपात रिफ्यूजीज इत्यादि।

Introduction

लैंगिक हिंसा पर आधारित घटनायें वर्तमान परिवेश में एक भयावह एवं विभत्स रूप धारण करती जा रही है। यह हिंसकता का स्वरूप परिवार से लेकर समाज, गाँव, क्षेत्र, राज्य के अलावा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्री स्तर की होती जा रही है। हिंसा की अभिव्यक्ति हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि "जिस किसी बात, घटना, तथ्य या फिर किसी भी मानवीय किया कलाप से दूसरों अथवा अगले को पीड़ा या कष्ट पहुँचता है, वही स्वरूप हिंसा कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के द्वारा अगले की भावना को ठेस अथवा आघात या आत्मीय क्षति पहुँचती है, को हिंसा कहते हैं। इसी क्रम में किसी भी प्राणी अथवा जीव पर दुश्शासन करना, गुलाम या दास बनाना, किसी भी प्रकार की पीड़ा या कष्ट देना, सताना या अशान्त करना हिंसा के अन्तर्गत आता है। यह हिंसक स्वरूप जाति-जाति के बीच, समाज-समाज के बीच, समुदाय-समुदाय के बीच इतना ही नहीं पुरुष-पुरुष के बीच, स्त्री-स्त्री के बीच तथा पुरुष-स्त्री के बीच सामान्य से लेकर बड़े स्तर तक होता रहता है। यही लैंगिक हिंसा कहलाती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री-पुरुष के बीच होने वाले संघर्ष या तनाव या आघात अथवा पार-पीट का स्वरूप ही लैंगिक हिंसा कहलाती है।

सामान्यतया यही कहा जाता है कि लिंग आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति के लिंग के कारण निर्देशित हिंसा है या ऐसी हिंसा जो किसी विशेष लिंग के व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करती है। लिंगगत हिंसा के लिए प्रायः गरीब, ग्रामीण या स्वदेशी समुदायों की लड़कियाँ, और युवा महिलायें, वे जो LGBTQIA+ हैं या मानी जाती हैं, वे जो विकलांगता के साथ जी रही हैं, साथ ही लड़कियाँ और महिलायें जो राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों और लैंगिक असमानता के बारे में बोलती हैं। वर्तमान समय में मनचले लड़के व लड़कियों के कारण लैंगिक हिंसा त्वरित गति से बढ़ रही है। वर्ष 2018 के एक सर्वेक्षण में भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश कहा गया है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में 228650 तथा वर्ष 2021 में 428278 घटनायें मलियाओं के खिलाफ घटित हुई हैं, अर्थात् इस दशक में महिलाओं के प्रति हिंसा में लगभग 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें लगभग 31.80 प्रतिशत घरेलू हिंसा थी, जो एक भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसका ज्वलन्त उदाहरण दिल्ली, मणिपुर, गुजरात, पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश की घटनाये प्रमुख हैं। स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि अब कोई अपनी लड़कियों/महिलाओं को प्रशासनिक सेवाओं के लिए अग्रसर होने में कतराता है तथा भविष्य में इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। इसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभाव भारतीय समाज पर क्षणिक एवं दीर्घ कालिक हो रहा है तथा होगा। इसके लिए सभी वर्गों, समूहों तथा समुदायों के सम्मान भानुभावों के लिए आवश्यक हो गया कि वे एकजुट होकर हिंसा के इस घड़ी में भटकने व भटकाने वाले लोंगों, नौजवानों अथवा अराजक तत्वों को एक सही एवं उत्तम मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर सकें।

अध्ययन का उद्देश्य—

1. विविध प्रकार की हिंसाओं की तरफ ध्यानाकर्षण करना।

2. हिंसागत क्षेत्रों का अवलोकन एवं विश्लेषण कर जनता को जागरूक करना।
3. लैंगिकता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना।
4. हिंसाग्रसित लागों में सौहार्दता की भावना विकसित करना।
5. लिंगगत भेद-भाव से उत्पन्न होने वाले प्रभावों के प्रति जनजागरूकता विकसित करना।
6. शिक्षणशालाओं एवं उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों द्वारा लैंगिक आधारित भेद-भाव व हिंसा मुक्ति के भावों को विकसित करना।

विधि तंत्र:

1. लैंगिक हिंसागत तथ्यों के अवबोधन द्वारा।
2. समाज में पारस्परिक सम्पर्कों व सम्बन्धों द्वारा।
3. स्वसर्वेक्षण, अध्ययन व विश्लेषण द्वारा।
4. समसामयिक परिस्थितियों के अवलोकनोपरान्त एवं उपलब्ध दशाओं के आधार पर।

हिंसा का स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। कभी घरेलू हिंसा तो कभी सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामरिक हिंसा का स्वरूप राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होते रहते हैं। सामान्यतः हिंसा से तात्पर्य प्रायः मार-पीट या फिर कत्लेआम से लिया जाता है। जैसा कि नरसंहार, पशुसंहार इत्यादि से समझा जाता है। जबकि हिंसा रूप नरसंहार व पशुसंहार के अलावा भ्रूण क्षरण या पात यह एक साधारण सी बात या घटना हो गयी। इसके सन्दर्भ में कई तथ्य सामने आते हैं। जिनमें लिंग से संबन्धित परीक्षण व गर्भपात्र प्रमुख है। इसके अलावा अनचाहे गर्भधारण को गर्भक्षरण या गर्भपात्र कराना, मनचलन से पले गर्भ को क्षरण/पात कराना, द्वेशवश गर्भपात्र करना/कराना, स्वेच्छा से गर्भपात्र करना/कराना, सरकारी दबाव या प्रभाव से गर्भक्षरण कराना, धार्मिकता, सामाजिकता, सांस्कृतिकता, संरक्षणता, व्यस्तता इत्यादि के कारण गर्भपातन एक बड़ा हिंसा अथवा लैंगिक हिंसा है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज व राष्ट्र पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के साथ-साथ क्षणिक एवं दीर्घकालिक पड़ता रहता है। इस प्रकार हम अवलोकन करें तो यही निस्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में परिवार, समाज, क्षेत्र, प्रदेश, राष्ट्र के अलावा विदेशों में भी स्त्री-पुरुष अर्थात् लिंग से सम्बन्धित भेद-भाव व अनिच्छा के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। आज समाज का स्तर यहाँ तक गिर चुका है कि जिस परिवार में बेटियाँ जन्म ले लेती हैं, तो उन्हें परिवार व समाज हेय दृष्टि अर्थात् अपशकुन या फिर बुरी निगाहों से देखने लगता है।

समाज का यह स्वार्थी स्वरूप उस समय और स्पष्ट हो जाता है जब पशुओं खास करके गाय व भैंसों को जिनमें गाय को बाढ़ी (स्त्री/मादा वर्ग) तथा भैंस को पॉड़ी (स्त्री लिंग) पैदा होती है, तब खुशियों का इजहार बड़े स्तर पर करते हैं। इसी क्रम में समाज में जन्मे तथा पलने वाले किन्नरों को समाज एक अलग ही नजरिये से देखता है। समाज में लैंगिकता संबन्धी हिंसा का स्वरूप उस समय दिखाई देता है जब बेटियों की शादी होकर घर आती/जाती हैं तथा वहाँ शारीरिक रंग, लम्बाई-चौड़ाई, लेन-देन (दहेज), रहन-सहन इत्यादि को आधार बनाकर भेद-भाव तथा उनके साथ दुर्व्यवहार व मार-पीट, बाहर निकालना अथवा बाहर निकलने को मजबूर करना, उनकी हत्यायें करना, परिचित और अंतरंग साथी की हिंसा इत्यादि लैंगिक हिंसा को परिभाषित व विवेचित करता

है। भारतीय संदर्भ में शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण कारक है। जिससे घरेलू हिंसा में बढ़ोत्तरी हो जाती है। शराब की आदत से मजबमर होकर लोग अपनी सहन शीलता खो बैठते हैं तथा परिवार में पत्नि, बच्चे व अन्य सदस्यों के साथ अशोभनीय व्यवहार करने लगते हैं तथा सामाजिक शर्म के कारण सरकारी मदद भी लेना उचित नहीं समझते हैं। वर्तमान समय में परिवार के भीतर अक्सर कलह व विवाद होते रहते हैं। जिनमें खास तौर पर पति-पत्नि या सास-बहू या फिर ननद-भौजायी के बीच होता रहता है, इसमें भी प्रायः बहुओं के प्रति अधिक होता रहता है। इसे प्रायः घरेलू हिंसा या कलह कहा जाता है और इसमें परिवार का कोई भी सदस्य हमेशा उकसाता रहता है तथा बहुयें या महिला वर्ग सहती रहती हैं। इस प्रकार का स्वरूप ऐसे समाज में देखने को मिलता है जिनमें महिलाओं के प्रति ज्यादती होती रहती है "क्योंकि वे महिला हैं", घर के अंदर और बाहर, काम पर या सार्वजनिक जीवन के किसी अन्य वातावरण में होती हैं।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के यूनाइटेड स्टेट्स हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज में लैंगिक हिंसा को इस प्रकार विवेचित किया गया है कि "लैंगिक आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसक कार्रवाईयों" के रूप में परिभाषित करती है और कहती है कि, "इसके मूल में लैंगिक असमानता, शक्ति का दुरुपयोग और विभेदकारी/नुकसान पहुँचाने वाली परम्परायें हैं और यह मानवाधिकारों के गम्भीर उलंघन और जीवन को खतरे में डालने वाले स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं, और ऐसे कृत्य शारीरिक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक प्रकृति के हो सकते हैं"।

लैंगिक हिंसा के प्रकार— लिंग आधारित हिंसा परिस्थितियों के अनुसार घटित एवं विवेचित होती रहती है। जिन्हें संक्षिप्त में इस प्रकार चिन्हित करते हैं— 1. शारीरिक हिंसा, 2. मौखिक हिंसा, 3. मनोवैज्ञानिक हिंसा, 4. यौन हिंसा, 5. भावनात्मक हिंसा, 6. कार्य स्थल पर उत्पीड़न, 7. ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म पर दुर्व्यवहार, 8. सामाजिक बहिस्कार, 9. आर्थिक निर्भरता इत्यादि।

अपराधी— लैंगिक हिंसा के अपराधी परिवार, समाज, समुदाय, विविध संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति (पुरुष व महिला) ही इसके अपराधी या अभियुक्त होते हैं। गाँव एवं शहरों में इसका चलन दिनोत्तर बढ़ता जा रहा है। जिसके उत्तरदायी स्त्री-पुरुष दोनों बराबर के होते हैं, जिसके विवरण व विवेचनायें तथा शिकायतें सामाजिक मीडिया व अखबारों के पन्नों पर सचित्र प्रकाशित होता रहता है और पाठकगण बड़ी गम्भीरता से अवलोकित व पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुरुष और महिला दोनों आधारित हिंसा से पीड़ित या अपराधी हो सकते हैं। हालांकि आँकड़े बताते हैं कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अधिकांश लिंग आधारित हिंसा पुरुषों द्वारा ही की जाती है। इसके लिए समाज तथा समुदाय के सम्बन्धित व्यक्ति भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार यथोचित कदम न उठाकर मूकदर्शक बने रहते हैं।

समस्यायें— लैंगिक हिंसा एवं अपराध से विविध प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती रहती हैं तथा भविष्य में और अधिक उत्पन्न होने की सम्भावनायें भी बढ़ जायेंगी। इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होने से उनकी भावना तथा आत्मसम्मान में कमी होने लगती है तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्यायें, जैसे कि चिंता, घबराहट, अवसाद, भावना तथा नींद सम्बन्धित समस्याओं में अभिवृद्धि होने

लगती है। इसके अलावा हिंसा का सामना करने के लिये कोई महिला अपनी सम्पूर्ण पहचान को बदलने तक का प्रयत्न करने लगती हैं। इससे एक दूसरा वर्ग दुष्प्रभावी होने लगता है।

लैंगिक हिंसा के कारण:

1. जनांकिकीय संकरण व आनुपातिक संबंध तथा जनजागरूकता की कमी।
2. पुरुष और महिलाओं की उचित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में सामाजिक मानदण्ड।
3. परिवार तथा समाज के संबंधों में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपमान तथा विद्रोहजन्य कलह।
4. शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन।
5. राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियाँ।
6. जनसम्पर्क एवं इन्टरनेट व्यवस्था व कनेक्टिविटी की कमी।
7. विद्युत सम्बन्धित समस्यायें।
8. अशिक्षा एवं शिक्षणशालाओं की कमी।
9. डिजिटल प्राद्यौगिकी से सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर्स या उपकरणों की कमी।
10. पर्याप्त पूँजी व संसाधनों की कमी।
11. प्रमुख शहरों से निकटता की कमी।
12. प्रबुद्ध जनों का सम्पर्क एवं सहिष्णुता की कमी।
13. सरकारी एवं गैर-सरकारी शासन व्यवस्था एवं अनुरक्षण का अभाव।
14. शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव।

लैंगिक हिंसा का सामाजिक प्रभाव— वर्तमान समय में लिंग आधारित हिंसा और भेद-भाव का दुष्प्रभाव समाज एवं बच्चों पर विशेष रूप से परिलिखित हो रहा है। इसमें भी ज्यादातर नवयुवकों पर दुष्प्रभावी हो रहा है। लैंगिक हिंसा का व्यापक स्वरूप अंतरंग साथियों द्वारा की जाने वाली हिंसा है, जहाँ प्रत्येक तीन में से एक महिला अपने जीवन में कभी न कभी अन्तरंग साथी द्वारा यौन या शारीरिक हिंसा की शिकार होती रहती है। इस हिंसक स्वरूपों का प्रभाव इतना परिलक्षित होने लगा है कि परिवार एवं समुदाय के लोग अपनी बहन-बेटियों को बाहर भेजने से संकोचते व बचने लगे हैं। जिनका सीधा प्रभाव मेधावी बच्चियों, छात्राओं व अन्य महिलाओं के साथ देखने को मिलता है। इस सन्दर्भ में एक कहावत चरितार्थ होती है कि "करता कोई और है, भरता कोई और"।

लैंगिक हिंसा रोकने के उपाय— हिंसा एवं उसमें भी एक लिंग के आधार पर हिंसा को रोकना एक बड़ी विभित्स चुनौती है, जिसका सामना करना कठिन है। फिर भी मानवीय दृष्टिकोणों से यह एक आवश्यक कार्य भी है। इसमें लिंग के आधार पर अर्थात् स्त्री-पुरुष के नाम पर इस हिंसा को कम तो किया जा सकता है, परन्तु नियन्त्रित नहीं। क्योंकि "नियंत्रित के नाम पर अन्य दूसरे प्रकार की हिंसा का प्रादुर्भाव होने की संभावना प्रबल रूप धारण कर सकती है। सामान्यतया लैंगिक हिंसा को समाप्त या नियन्त्रि करने के लिये जन आन्दोलन आमतौर पर अन्य बचे लोगों की मदद करने के तौर तरीके खोजने से शुरू होते हैं। जैसे, लोग महिलाओं को दुर्ब्यवहार से बचने में मदद करने के लिए आश्रय और बलत्कार संकट केन्द्र बनाते हैं। ड्राप-इन केन्द्र या कैफे जैसी जगहें स्थापित की

जा सकती है जहाँ एल.जी.बी.टी. लोग जा सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, हिंसा से बच सकते हैं या स्वीकार्य महसूस कर सकते हैं।

वर्तमान में इन्टरनेट सेवा ने महिलाओं को एक अपने विचार व्यक्त करने का एक मंच या साधन दिया है, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं भावनाओं अभिव्यक्त करके अपने मूल्यों की रक्षा कर सकें परन्तु इस मंच एवं स्वतंत्रता को भारत के कुछ भागों/क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था ने इसे पनपने नहीं देना चाहते हैं, जो चुनौती का स्वरूप बपता जा रहा है तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा की आशंका बनी रहती है। फिर भी इस विभिन्नकारी लैंगिक हिंसा को रोकन के लिये कुछ प्रमुख उपाय सुझाये गये हैं, जो निम्नवत् हैं:—

1. जनजागरूकता विकसित करना।
2. पारस्परिक सौहार्द्र एवं सहिष्णुता को बढ़ाने का प्रयास करना।
3. संयुक्त व सशक्त पारिवारिक संरचना को बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित करना।
4. बाल विवाह को पूर्णतया रोकना।
5. सरकारी एवं गैर-सरकारी मशीनरियों की मदद से पीड़ितों को बचाना एवं दैनिक उपभोग की आवश्यकता को पूरित करना।
6. सुरक्षाबल यथा पुलिस प्रशासन की मदद लेना या मुहैया कराना।
7. महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना एवं बढ़ावा देना।
8. इन्टरनेट सेवाओं की महिलाओं में विशेष भागीदारी का होना।
9. वैवाहिक बलत्कारी तथा यौन हिंसा के पुजारियों (अपराधियों) को कड़ाई के साथ सजा का प्राविधान का होना आवश्यक है।
10. संरक्षात्मक संवैधानिक अधिनियम बनाना तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करना/कराना।

सारांश— परिवार एवं समाज एक सशक्त देश का निर्माण व विकास करने में विशेष योगदान प्रदान करते हैं। इसमें लिंग आधारित हिंसा एक बाधक व अपमान जनक स्वरूप उत्पन्न करती है। यह हिंसा चाहे ग्रामीणचल की हो अथवा शहरी, देश को शर्मसार एक बराबर होना पड़ता है। अभी हाल ही में मणिपुर की घटना शर्मसार कर दिया है। भूमण्डलीय स्तर पर कहीं पुरुष के साथ तो कहीं महिलाओं के साथ भेद-भाव, दुष्कर्म, कुकर्म, बलत्कार, हिंसात्मक घटनायें प्रायः घटती रहती हैं। जिसके निदान के लिए विविध सरकारी व गैर-सरकारी संस्थायें विविध रूपों में सकारात्मक निदान की ओर निरन्तर क्रियाशील हैं। भारत विगत लगभग 40 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के स्वरूपों का समाधान ढूँढने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। परन्तु इसमें लिंग आधारित हिंसा से संबंधित नीतियों की समीक्षा करने पर पता चलता है कि भले ही भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून विद्यमान हैं, किन्तु ये मूल रूप से दण्डात्मक प्रकृति के हैं।

नीति निर्धारण प्रक्रिया में लैंगिक हिंसा से जुड़े कुछ प्रमुख बिन्दुओं को अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे पितृसत्तात्मक अवसंरचना, सांस्थानिक ढाँचे की अपर्याप्तता इत्यादि। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समाज या परिवार को किसी भी प्रकार के चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, उसके साथ किसी भी प्रकार की दुर्भावना, हिंसा, अप्रियता, भेद-भाव नहीं रखना

चाहिये, क्योंकि सभी एक ही मानव के वंशज हैं। हमें "सबका साथ, सबका विकास" की नीति को अपनाना आवश्यक एवं अपेक्षित है।

सन्दर्भ—

1—"Poll Ranks India the World's most dangerous country for women", The Guardian, 28 June 2018.
<https://www.theguardian.com>

2-Crime In India-2011, "National Crime Record Bureau, <https://ncrb.gov.in>

3—"Nearly 20% Increase in Rapes Across India in 2021' Rajasthan Had Highest Cases:NCRB", The Wire, 30 August 2022. <https://thewire.in/women/crimes-against-women-rape-cases-india-2021-ncrb-data>

4- "Crime India-2021" "National Crime Record Bureau, <https://ncrb.gov.in>

5- K. Maumder, "Women Journalists in India feel more at risk after action apps worsen online abuse", Committee to Protect Journalists, 31 January 2022.

6-UNHCR, "Gender Based Violence," 2022, <https://www.unhcr.org/gender-based-violence.html>

7- WHO, "Global, regional and national estimates for intimate partner violence against women and global and regional estimates-partner sexual violence against women, New York, WHO, 2021.

8- फरहीन नहवी, "भारत में लैंगिक (जेंडर आधारित) हिंसा के विरुद्ध निति निर्धारण में नारीवादी दृष्टिकोण को शामिल किये जाने की जरूरत", O.R.F. Issue Brief No. 632, April 2023, Observer Research Foundation.